भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4857

उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2026

सोमवार, 02 चैत्र, 1948 (शक)

कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान

4857. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन: श्री मितेश पटेल बकाभाई: श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा: श्री सौमित्र खान: श्रीमती शांभवी: श्री अशोक कुमार रावत: श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल: श्री राजेश वर्मा: डॉ. लता वानखेड़े: श्री दिलेश्वर कामैत: श्री राहुल सिंह लोधी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और दमोह, समस्तीपुर, खगड़िया और सागर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या तथा कार्यशील संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और वंचित समुदायों के लिए कौन-कौन से कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता के लिए की गई औद्योगिक भागीदारी का उक्त राज्य और निर्वाचन क्षेत्रों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/जिला-वार आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विशिष्ट आंकड़ों सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के निष्कर्षों सहित रोजगार सृजन, आय वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में योजना के परिणामों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का उद्देश्य भारत सरकार के पूर्ण अनुदान से लाभार्थियों के घर पर ही अनौपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार/वेतन रोजगार को बढ़ावा देकर परिवार की आय में वृद्धि करना है। योजना के लक्षित लाभार्थी 15-45 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं। प्राथमिकता वाले समूह ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय शहरी क्षेत्रों में महिलाएं (83%), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक हैं।

वर्तमान में, 294 जेएसएस (जन शिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं और वित्त वर्ष 2022-23 से 31 दिसंबर 2025 तक, दमोह, समस्तीपुर, खगड़िया और सागर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित जेएसएस योजना के तहत कुल **20,09,774** लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दमोह, समस्तीपुर, खगड़िया और सागर लोक सभा क्षेत्रों सहित प्रशिक्षित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। चूंकि उपर्युक्त अनुबंध-I में ब्यौरा बहुत विस्तृत है, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1 पर अपलोड किया गया है।

जेएसएस योजना के तहत, क्षेत्रीय मांग के आधार पर 28 आधुनिक जॉब रोल्स सहित 51 राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से मेल खाने वाली जॉब रोल्स को योजना में शामिल किया गया है, ताकि क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। जेएसएस लाभार्थियों को जारी किए गए प्रमाण पत्र राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से मेल खाते हैं और उन पर कौशल भारत, जेएसएस और एनसीवीईटी के लोगो के साथ-साथ क्रेडिट जानकारी भी अंकित होती है, जिससे प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता और सुवाह्यता बढ़ती है। इससे लाभार्थियों के लिए नियोजन के अवसर भी बढ़ेंगे। इन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। चूंकि पूर्वोक्त अनुबंध-II में दी गई जानकारी बहुत विस्तृत है, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1 पर अपलोड किया गया है।

प्रत्येक जेएसएस में एक आजीविका प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसका अध्यक्षता जेएसएस के कार्यक्रम अधिकारी करते हैं और अन्य स्टाफ सदस्य उनकी सहायता करते हैं। यह प्रकोष्ठ प्रशिक्षित जेएसएस लाभार्थियों, विशेषकर महिला लाभार्थियों को (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) से जोड़ता है ताकि उनकी उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। आजीविका प्रकोष्ठ उन्हें आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल से भी जोड़ता है, लाभार्थियों को बाजार की मांग के अनुसार संबंधित ट्रेड में स्वरोजगार/वेतन रोजगार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए परामर्श सहायता प्रदान करता है और जेएसएस लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सहायता/ऋण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियोक्ताओं, बैंकों/सूक्ष्म वित्त संस्थानों/राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करता है।

जन शिक्षण संस्थान योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। चूंकि उपर्युक्त अनुबंध-III में दी गई जानकारी बहुत विस्तृत है, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1 पर अपलोड किया गया है।

(घ) एवं (ङ) जी हाँ। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा वर्ष 2025 में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया था, जो लाभार्थियों के रोजगार और आय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। मूल्यांकन में पाया गया कि प्रशिक्षित लाभार्थियों में से लगभग 82% प्रशिक्षण पूरा करने के छह महीने के भीतर लाभकारी रोजगार प्राप्त कर चुके थे, जबकि लगभग 90% ने अर्जित कौशलों का उपयोग आय सृजन गतिविधियों में करने की सूचना दी।

इसके अलावा, अध्ययन में लाभार्थियों की औसत मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और साथ ही आत्मविश्वास, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और आजीविका के अवसरों के लिए तत्परता में भी वृद्धि देखी गई। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि योजना ने रोजगार क्षमता बढ़ाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और परिवारों विशेष रूप से महिलाओं और सामाजिक-आर्थिक रूप से लाभ/हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच आय में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
